

मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	(मौजूदा बाजार मूल्य पर)	
			के लिए लक्ष्य	
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1. राजस्व घाटा	5.3	4.0	3.4	2.7
2. राजकोषीय घाटा	6.7	5.5	4.8	4.1
3. सकल कर राजस्व	10.3	10.8	11.5	11.8
4. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियां	51.5	51.1	50.0	48.2

टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमानों के लिए, स्थिर विनिमय दरें मानी गई हैं।
3. तेरहवें वित्त आयोग की कार्ययोजना से तुलना अनुबंध-क में दर्शाई गई है।

1. ऊपर प्रस्तुत मध्यावधिक राजकोषीय दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि वर्ष 2009-10 के दौरान राजकोषीय कार्यनिष्पादन मोटे तौर पर जुलाई 2009 में प्रस्तुत बजट की तर्ज पर है।

2. वर्ष के दौरान अनुदानों की पूरक मांगों के जरिए मांगे गए अतिरिक्त विनियोग के बावजूद, वास्तविक अर्थ में समग्र व्यय लगभग ब.अ. 2009-10 और सं.अ. 2009-10 के समान स्तर पर बनाए रखा गया है। सरकार का सकल कर राजस्व जिसके ब.अ. 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद का 10.4 प्रतिशत होने का अनुमान था। (पूर्व संशोधित स.घ.उ. का 10.9 प्रतिशत), संशोधित अनुमान 2009-10 में मामूली रूप से गिरकर 10.3 प्रतिशत हो गया है। अप्रत्यक्ष करों में कमी को मुख्यतया प्रत्यक्ष करों में अनुमानित अतिरिक्त प्राप्तियों के जरिए पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के दौरान 3जी नीलामी से उगाही न होने के कारण कर-भिन्न राजस्व में कमी को काफी सीमा तक विनिवेश प्राप्तियों के जरिए पूरा किया गया है। सरकार के समग्र उधार बजट अनुमान 2009-10 के अनुमान के समान ही हैं।

3. वर्ष 2010-11 के लिए राजकोषीय नीति जुलाई 2009 में प्रस्तुत मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में सरकार की वचनबद्धता द्वारा दिशानिर्देशित हो रही है। राजकोषीय घाटा, जिसके स.घ.उ. के 5.5 प्रतिशत तक नीचे लाने की प्रतिबद्धता की गई थी, के वास्तव में ब.अ. 2010-11 के समान स्तर पर होने का अनुमान है। यह आगामी वर्षों में राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस लौटने की वचनबद्धता को पूरा करने के सरकार के इरादे को दर्शाता है। सरकार 2010-15 की अवधि के लिए राजकोषीय समेकन मार्ग का अंशांकन करने में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का लाभ भी प्राप्त कर रही है। कर-राजस्व सं.अ. 2009-10 में स.घ.उ. के 10.3 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2010-11 में 10.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। तथापि यह 2007-08 के दौरान प्राप्त स.घ.उ. के 12 प्रतिशत के स्तर से अभी भी कम है। अर्थव्यवस्था के हाल के समय में बढ़ती वृद्धि दर की प्रवृत्ति पर लौटने के संकेत दर्शाने के साथ ही इसमें और सुधार की गुंजाइश है।

4. स.घ.उ. से कर अनुपात में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि न होने और तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त व्यय वचनबद्धताओं के बावजूद, विनिवेश प्राप्तियों और सब्सिडियों सहित व्यय प्रबन्धन में सुधारों की सहायता से, राजकोषीय घाटा 2008-09 में 7.8 प्रतिशत (तेल और उर्वरक कम्पनियों को सब्सिडियों के बदले में जारी प्रतिभूतियों सहित) से घटाकर ब.अ. 2010-11 में 5.5 प्रतिशत किया गया है। इसे 2011-12 में स.घ.उ. के 4.8 प्रतिशत और 2012-13 में 4.1 प्रतिशत तक और नीचे लाने का अनुमान है जो तेरहवें वित्त आयोग की सुझाई गई कार्ययोजना की तुलना में थोड़ा सुधार है।

5. वर्ष 2011-12 में स.घ.उ का 4.8 प्रतिशत का अनुमानित राजकोषीय घाटा मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, 2009-10 में 4 प्रतिशत के अनुमानित घाटे से अधिक है। अनुमानित घाटे में यह वृद्धि मुख्यतया तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभाव और अनुमान से कम स.घ.उ.-कर अनुपात के कारण है। जबकि कुल व्यय ब.अ. 2010-11 में स.घ.उ के 16 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में स.घ.उ का 15.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, केन्द्रीय करों में हिस्से के अतिरिक्त अंतरण और राज्यों को बड़ी मात्रा में सहायता अनुदानों ने राजकोषीय घाटे को स.घ.उ के 4 प्रतिशत के पहले अनुमानित स्तर पर रखना कठिन बना दिया है।

6. वर्ष 2012-13 के लिए, राजकोषीय घाटा स.घ.उ का 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसमें व्यय में स.घ.उ के 14.6 प्रतिशत तक की कटौती और स.घ.उ-कर अनुपात के 11.8 प्रतिशत तक वृद्धि को ध्यान में रखा गया है। इन पूर्वानुमानों के ब्यौरे विवरण के भाग ख में स्पष्ट किए गए हैं। इन पूर्वानुमानों से जुड़े जोखिम भी उसमें स्पष्ट किए गए हैं। तथापि अप्रत्याशित व्यय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु मूल्यों में एकाएक बदलावों से ऊपर दिए गए अनुमानों पर प्रभाव पड़ सकता है।

7. कुल मिलाकर, व्याप्त स्थितियों में सुधार से, राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया वापस पटरी पर है। तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्र और राज्यों की वित्त व्यवस्थाओं का आकलन किया है और 2014-15 तक सकल घरेलू उत्पाद के 68 प्रतिशत तक का मिश्रित ऋण लक्ष्य विनिर्दिष्ट किया है। इसने पंचाट अवधि के लिए राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे की एक कार्ययोजना तय की है। केन्द्र के लिए, इसने 2013-14 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक नीचे लाने की सिफारिश की है। सरकार ने इन सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। एफआरबीएम अधिनियम के संशोधन के यथाआवश्यक विस्तृत प्रस्ताव पृथक से लिए जाएंगे।

8. वर्ष 2010-2013 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे में सुधारों से केन्द्र सरकार का स.घ.उ. से ऋण का अनुपात सं.अ. 2009-10 में 51.5 प्रतिशत से 2012-13 में 48.2 प्रतिशत तक नीचे आने की आशा है। तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह इंगित किया है कि केन्द्रीय सरकार की देनदारी राज्यों को एनएसएसएफ ऋणों की सीमा तक अधिव्यक्त हैं। पैराग्राफ क में सारणी में दर्शाए गए चल लक्ष्यों में, यह विसंगति 2009-10 के बाद से सुधारी गई है। सारणी में दिखाई गई देनदारियों में एनएसएसएफ से राज्यों को जारी ऋण शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य सरकार ऋण के समेकन में केन्द्र से राज्यों को अन्य ऋणों (अर्थात् वैदेशिक ऋण) को भी केन्द्र की देनदारी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और 14-दिवसीय राजकोषीय हंडियों को राज्य सरकार की देनदारियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ख) राजकोषीय संकेतकों में अन्तर्निहित पूर्वानुमान

1. राजस्व प्राप्ति

क) कर-राजस्व

9. 2004-08 अवधि के दौरान राजकोषीय समेकन मुख्य रूप से राजस्व अभिप्रेरित था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम व्यवस्था के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व 2004-05 में 9.7 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 12.6 प्रतिशत हो गया। तथापि स.घ.उ. आंकड़ों में संशोधन और आधार वर्ष में परिवर्तन के चलते स.घ.उ. से कर का अनुपात 2004-05 के लिए 9.4 प्रतिशत और 2007-08 के लिए 12 प्रतिशत किया गया है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मंदी और 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान कर/शुल्क दर कटौतियों के कारण, स.घ.उ. से सकल कर का अनुपात 2008-09 में 10.9 प्रतिशत तक गिर गया। राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के भाग के रूप में, वर्ष 2009-10 में कर/शुल्कों की घटी हुई दरें जारी रहीं।

10. तदनुसार सकल कर राजस्व के कम उछाल दर्शाने का अनुमान था और यह बजट 2009-10 में 6,41,079 करोड़ रुपए अनुमानित था जो स.घ.उ का 10.4 प्रतिशत (संशोधन पूर्व स.घ.उ का 10.9 प्रतिशत) था जो 2008-09 के अंतिम लेखे की तुलना में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सं.अ. 2009-10 में सकल कर प्राप्ति के 6,33,095 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2008-09 की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, और यह स.घ.उ का 10.3 प्रतिशत है। सं.अ. 2009-10 में ब.अ. 2009-10 की तुलना में स.घ.उ का 0.1 प्रतिशत की कमी अप्रत्यक्ष कर में कम अनुमानित प्राप्ति एवं प्रत्यक्ष कर में अधिक प्राप्ति का निवल प्रभाव है।

11. ब.अ. 2009-10 प्रत्यक्ष कर प्राप्ति का 3,70,000 करोड़ रुपए होना अनुमानित था जो 2008-09 (अंतिम लेखे) की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और यह स.घ.उ. का 6.0 प्रतिशत है। कारपोरेशन कर को छोड़कर आय कर के अधीन अनुमानित से बेहतर प्राप्ति के कारण सं.अ. 2009-10 में प्रत्यक्ष कर प्राप्ति के 3,87,008 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह स.घ.उ का 6.3 प्रतिशत है, जो 2008-09 के अंतिम लेखे की तुलना में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2009-10 की दूसरी छमाही में प्रत्यक्ष कर प्राप्ति निरन्तर बेहतर परिणाम प्रदर्शित कर रही हैं और इस प्रवृत्ति के अर्थव्यवस्था में 2010-11 में बेहतर विकास संभावना के साथ जारी रहने की उम्मीद है।

12. सरकार, प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में आरंभ की गई सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और संतुलित कर ढांचे के साथ स.घ.उ. के अनुपात में अधिक कर जुटाने के लिए वचनबद्ध है। तदनुसार, 2011-12 से प्रत्यक्ष कर संहिता क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। यह कर ढांचे को सरल बनाएगी और व्यष्टियों तथा कारपोरेट निकायों संबंधी करों के आपतनों को कम करेगी। 2010-11 के दौरान डीटीसी आरंभ करने की प्रस्तावना में प्रचलित कर दर ढांचे के लिए आय स्लैब बढ़ा दिए गए हैं और कारपोरेशन कर पर अधिभार की दर कम कर दी गई है। यह कर दाताओं के हाथों में अधिक धन रखने में सहायता करेगी और इसके द्वारा मांग बढ़ाने की प्रक्रिया को जारी रखेगी। इस कर रियायत से प्रत्यक्ष कर ब.अ. 2010-11 में 430,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो सं.अ. 2009-10 की तुलना में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और यह स.घ.उ का 6.2 प्रतिशत है। इस सुधार से अनुपालना में सुधार होने की संभावना है और आगामी वर्ष में बेहतर उछाल के रूप में परिणामी होने की आशा है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए स.घ.उ के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में ब.अ. 2010-11 में 6.2 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 6.6 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। ये सुधार 2011-12 और 2012-13 के लिए अर्थव्यवस्था में अनुमानित उच्च वृद्धि से संबंधित हैं। विकास पूर्वानुमान में किसी प्रकार की चूक इन अनुमानों को प्रभावित करेगी।

13. ब.अ. 2009-10 में अप्रत्यक्ष कर का 2,69,477 करोड़ रुपए होना अनुमानित था। तथापि, करों और शुल्कों को कम करने के प्रभाव के कारण वित्तीय वर्ष के अधिकांश भाग में व्यापार में ऋणात्मक वृद्धि से इनके सं.अ. 2009-10 में 2,44,477 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2008-09 की तुलना में 9.4 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है। तथापि, राजकोषीय प्रेरण के रूप में इस परित्याग ने अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि के मार्ग पर घड़ले से वापस आने में सहायता की है। सरकार ने पुनरूद्धार प्रक्रिया को नुकसान किए बगैर राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस आने के लिए धीरे-धीरे निकासी कार्यनीति आंशिकित की है। तदनुसार उत्पाद शुल्क ही औसत दर बढ़ाकर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की जा रही है। यह अभी भी 14 प्रतिशत की दर से कम है, जो प्रोत्साहन उपायों की घोषणाओं से पहले प्रचलित थी। सरकार की मंशा वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान कर दर लाना है। सेवा क्षेत्र के लिए कर दर में परिवर्तन किए बगैर कुछ और सेवाएं कर तंत्र में जोड़ी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कर उपायों को आंशिक रूप से वापस लेने में, जिन्हें 2008-09 के दौरान कच्चे तेल की उच्च कीमतों के प्रतिकूल प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आरंभ किया गया था, कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क पुनःअधिरोपित किया जा रहा है। इन अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों का ब.अ. 2010-11 में सघउ का 0.7 प्रतिशत लाभ देने का अनुमान है। ब.अ. 2010-11 के लिए अप्रत्यक्ष कर 3,15,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सं.अ. 2009-10 की तुलना में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और यह स.घ.उ का 4.6 प्रतिशत है। 2011-12 से वस्तु एवं सेवा कर आरंभ करने की संभावना से इसके 2012-13 में और सुधर कर 4.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।

14. उपर्युक्त अनुमानों के आधार पर स.घ.उ. के अनुपात में सकल कर ब.अ. 2010-11 में 10.8 प्रतिशत से सुधर कर 2011-12 में 11.5 प्रतिशत और 2012-13 में 11.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह 2007-08 के दौरान हासिल किए गए स.घ.उ. के 12 प्रतिशत से अभी भी कम है।

15. ब.अ. 2010-11 में राज्यों को सौंपे गए केन्द्र का निवल कर राजस्व स.घ.उ. के अनुपात में, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद क्रमशः 2,08,997 करोड़ रुपए और 5,34,094 करोड़ रुपए रखा गया।

16. ब.अ. 2010-11 के लिए पैरा क में सारणी में दर्शाए गए राजकोषीय संकेतक नए बजट प्रस्तावों पर आधारित हैं।

(ख) कर-भिन्न राजस्व

17. ब.अ. 2009-10 में कर-भिन्न राजस्व के 1,40,279 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2008-09 के अंतिम लेखे की तुलना स.घ.उ का 2.3 प्रतिशत अनुमानित है और यह 44.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतः 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी द्वारा दूरसंचार सैक्टर से 35,000 करोड़ रुपए की प्रत्याशित प्राप्तियों और भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष के वर्धित अंतरण के कारण हुई, जिसके 25,000 करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान था। तथापि, 2009-10 के दौरान 3जी नीलामी से प्राप्तियों को मूर्त रूप नहीं दिया गया और इस प्रकार से सं.अ. 2009-10 में कर-भिन्न राजस्व में कमी आयी जिसके, 1,12,191 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। अब ब.अ. 2010-11 में 3जी नीलामी से 35,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति को ध्यान में रखने के बाद कर-भिन्न राजस्व ब.अ. 2010-11 में 1,48,118 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह स.घ.उ का 2.1 प्रतिशत है जो सं.अ. 2009-10 की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2011-13 की अवधि के लिए कर-भिन्न राजस्व में यह वृद्धि दर संभव नहीं होगी। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत ऋणों को छोड़कर मुख्यतः राज्यों को ऋण देने के संबंध में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसरण में वित्तीय मध्यस्थता से केन्द्र के हट जाने के कारण मध्यावधि में राज्यों से ब्याज प्राप्तियों में कमी आने की संभावना है और 7.5 प्रतिशत ब्याज पर राज्य सरकार के ऋण की पुनर्संरचना सह-बद्ध प्रोत्साहन भी कुछ और समय के लिए ब्याज प्राप्तियों में अधोमुखी प्रवृत्ति में परिणामी होगी। अतः मध्यावधि में, सम्पूर्ण अर्थ में एनटीआर में मामूली सुधार आने की संभावना है परन्तु यह स.घ.उ के अनुपात में जैसे-जैसे स.घ.उ. बढ़ता है, प्रगामी रूप से गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाएगा। एनटीआर में 7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ इसके 2011-12 में गिरकर स.घ.उ. का 1.4 और 2012-13 में 1.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) राज्यों को अन्तरण

18. तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी पंचाट अवधि 2010-15 के दौरान 30.5% से 32% के वर्तमान स्तर से केन्द्र के करों की आय में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की सिफारिश की है। इसने केन्द्र से राज्यों को कुल अंतरण पर संकेतिक उच्चतम सीमा को 38% से बढ़ाकर 39.5% करने की भी सिफारिश की है। यह केन्द्र सरकार के लिए संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। ब.अ. 2010-11 के लिए राज्यों को 1.5 प्रतिशत का अतिरिक्त अंतरण लगभग 9,800 करोड़ रुपए में परिणामी होगा, जो स.घ.उ. का 0.14 प्रतिशत है।

2. पूंजी प्राप्तियां

(क) ऋणों और अग्रियों की वसूली

19. राज्यों को दिए गए ऋण की वापसी अदायगी में आने वाले समय में इनके कारण गिरावट आने का अनुमान है (i) केंद्र सरकार द्वारा क्रमिक अमध्यस्थता और (ii) बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों पर आधारित ऋण समेकन और ऋण माफी योजना। समय-समय पर राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को केंद्र सरकार से नहीं बल्कि सीधे बाजार से उधार लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को उनके उच्च लागत वाले ऋणों की पूर्व अदायगी की अनुमति दी गई थी। केंद्र सरकार के ऋणों के संबंध में बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को ऋण समेकन और माफी के रूप में राहत दी थी जो राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अधिनियमन और उससे संबंधित विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को हासिल करने के अधीन थी। हालांकि सरकार बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित बड़े खाते डाली गई राशि के रूप में राज्य सरकारों से वापसी अदायगियां प्राप्त करेगी जो 2009-10 में समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से भी ऋणों की वापसी अदायगी उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जो या तो रूग्ण हैं अथवा बीआईएफआर के माध्यम से पुनरुद्धार के अधीन हैं, से चूक के कारण प्रभावित हुई है। ऋणों और अग्रियों की वसूली सं.अ. 2009-10 में 4,254 करोड़ रुपये और ब.अ. 2010-11 में 5,129 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

20. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में सरकार की पण्यधारिता के माध्यम से विनिवेश प्राप्तियां इस शीर्ष के तहत हुई प्राप्तियों का मुख्य स्रोत रही हैं। विनिवेश की प्राप्तियों के प्रयोग की मौजूदा नीति से हटते हुए सरकार ने 2009-12 की अवधि के दौरान प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों का प्रयोग पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजित करने वाले सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ करने का निर्णय लिया है। विनिवेश प्राप्तियां सं.अ. 2009-10 में 25,000 करोड़ रुपये तथा ब.अ. 2010-11 में 40,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में भी ये प्राप्तियां ब.अ. 2010-11 के इसी स्तर पर रहने का अनुमान है। इसके साथ-साथ, राष्ट्रीय निवेश निधि के माध्यम से किए गए निवेशों से प्राप्त प्रतिलाभों को सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिंदा योजनाओं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देती हैं, के वित्तपोषण में लगाया जाना और लाभकारी तथा पुनरुज्जीवित करने योग्य केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी निवेश की जरूरत को पूरा किया जाना जारी रहेगा।

(ग) उधार - लोक ऋण और अन्य देनदारियां

21. सरकार के घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः घरेलू सरकारी ऋण के माध्यम से और कुछ हद तक विदेशी ऋण तथा अन्य आंतरिक देनदारियों के माध्यम से अथवा नकदी के कम आहरण के माध्यम से किया जाता है। सरकार अपने घाटे के बड़े हिस्से का वित्तपोषण बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर जुटाए गए संसाधनों के माध्यम से कर रही है। वर्ष 2009-10 के लिए उधार कार्यक्रम घोषित उधार कैलेंडर के अनुसार पूरा किया गया है। इस वर्ष के दौरान अधिकतर उधार बाजार को बाधा पहुंचाए बिना अथवा आय बढ़ाए बिना लिया गया था। वर्ष 2010-11 में सरकार का बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर घरेलू ऋण के माध्यम से अधिकतर संसाधन जुटाने की उपर्युक्त नीति पर निर्भर रहना जारी रहेगा। 2010-11 में खुले बाजार से निवल उधार से निजी क्षेत्र की जरूरतों के लिए पर्याप्त स्थान रहेगा।

22. दो अन्य मदें जिन्हें केंद्र सरकार के घरेलू ऋण/देनदारियों में शामिल किया गया वे हैं एनएसएसएफ की निवल अनुवृद्धि और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत उधार। राष्ट्रीय लघु बचत निधि की निवल अनुवृद्धि 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए जारी राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से उनके विकल्प के अनुसार 1-4-2007 से अंतरित की जाती है। केंद्र सरकार की देनदारियों का आकलन करते समय केंद्र सरकार के घाटे का वित्तपोषण करने के लिए प्रयुक्त की गई राशि सरकार की देनदारी का सही चित्रण करने के लिए निकाल देनी चाहिए। एनएसएसएफ का घटक जिसका राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के रूप में निवेश किया जाता है, केंद्र सरकार की देनदारियों के रूप में नहीं लिया जा सकता। यह समायोजन करने के पश्चात् केंद्र सरकार के सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में अनुमानित ऋण अनुपात क्रमशः सं.अ 2009-10 में 51.5 प्रतिशत तथा ब.अ 2010-11 में 51.1 प्रतिशत होगा। 2011-12 में स.घ.उ के 4.8 प्रतिशत और 2012-13 में स.घ.उ. के 4.1 प्रतिशत पर घाटे के अनुमानित स्तर के चलते स.घ.उ. के संबंध में अनुमानित ऋण अनुपात क्रमशः 50.0 प्रतिशत और 48.2 प्रतिशत होगा। ये अनुमान दर्शाते हैं कि सरकार केंद्र सरकार के लिए स.घ.उ के संदर्भ में ऋण अनुपात कम करके 2014-15 तक 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 45 प्रतिशत के स्तर पर लाने में समर्थ होगी। घाटे का वित्तपोषण संबंधी ब्यौरा प्राप्ति बजट में दिया गया है।

3. कुल व्यय

(क) राजस्व खाता

(i) आयोजना राजस्व व्यय

23. अवसंरचना क्षेत्र में मांग और निवेश बढ़ाने के लिए आयोजना व्यय बढ़ाना भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा मुहैया किए गए प्रोत्साहन पैकेजों का हिस्सा था। तदनुसार, आयोजना राजस्व व्यय 2007-08 में 1,73,572 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008-09 में 2,34,774 करोड़ रुपये हो गया तथा आगे और बढ़कर सं.अ 2009-10 में 2,64,411 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँच गया है। इसके परिणामस्वरूप 2008-09 और 2009-10 में 23.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई। आयोजना राजस्व व्यय आगे और बढ़कर ब.अ. 2010-11 में 3,15,125 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँचने का अनुमान है जो सं.अ 2009-10 की तुलना में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिम्बित करता है।

24. पिछले तीन वर्षों में परिव्यय में हुई इस उल्लेखनीय वृद्धि के चलते फोकस कारगर क्रियान्वयन और वित्तीय परिव्ययों से परिणाम सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। आयोजना व्यय में हुई यह वृद्धि मुख्यतः शहरी तथा ग्रामीण अवसंरचना के साथ सामाजिक क्षेत्र को किए गए अधिक आवंटनों के कारण है। राजस्व में गिरावट होने और आयोजना-भिन्न व्यय के विशिष्ट घटकों जिनमें अन्य बातों के अलावा वेतन वचनबद्धताएं, ब्याज देयताएं, सब्सिडी, रक्षा स्थापना और पूंजी अधिग्रहण, आंतरिक सुरक्षा, पेंशन आदि शामिल हैं, के संबंध में अधिक देनदारियों के बावजूद सभी महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं, खासकर जो आम आदमी के वंचित वर्गों को लाभ दे रही हैं, के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। नौवीं तथा दसवीं योजना की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय जहां संबंधित योजनावधि में अनुमानित संसाधनों का केवल 84 प्रतिशत के आसपास था, यह संभावना है कि आयोजना व्यय के लिए समग्र प्रावधान मोटे तौर पर 11वीं योजना के लिए अनुमानित संसाधनों के अनुसार रहेगा।

(ii) आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

25. ब्याज अदायगी, रक्षा सेवाओं, सब्सिडियों, वेतन तथा पेंशनों और राज्यों को अनुदान देने पर होने वाला व्यय आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का भारी हिस्सा बैठता है। व्यय की ये मदें अनन्य स्वरूप की हैं और इनके अल्पावधि से मध्यावधि में ऐसे ही बने रहने की संभावना है। हालांकि 2008-09 के दौरान देखी गई आयोजना-भिन्न व्यय में भारी वृद्धि चालू वर्ष में भी जारी रहेगी। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय ब.अ 2009-10 में 6,18,834 करोड़ रुपये से बढ़कर सं.अ 2009-10 में 6,41,944 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है जो 2008-09 में आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की तुलना में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिम्बित करता है। यद्यपि, यह वृद्धि 2008-09 (32.8 प्रतिशत) में देखी गई वृद्धि से कम है फिर भी यह इस व्यय के घटक की वृद्धि की गति निरन्तरता संबंधी चिंताएं रेखांकित कर रही है। यह ब.अ 2010-11 में 6,43,599 करोड़ रुपए से और अधिक बढ़ेगी और सं.अ 2009-10 की तुलना में 0.26 प्रतिशत की मामूली वृद्धि प्रतिबिम्बित करेगी। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में यह वृद्धि मुख्यतः 2009-10 में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन एवं पेंशन के बकाया भुगतान और सब्सिडी में प्रत्याशित कटौती के कारण हुई है। आयोजना-भिन्न व्यय की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे दिखा गया है।

(क) ब्याज का भुगतान

26. पिछले चार वर्षों में राजकोषीय समेकन के कारण केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों (निवल) के प्रतिशतांक के रूप में ब्याज अदायगियों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया जब ये 2003-04 में 47 प्रतिशत से 2007-08 में 31.6 प्रतिशत रह गई। हालांकि 2008-09 और 2009-10 के दौरान अधिक राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिए वर्धित उधारों के कारण यह अनुपात बढ़कर सं.अ 2009-10 में 38 प्रतिशत हो गया। ब्याज अदायगियां सं.अ 2009-10 में 2,19,500 करोड़ रुपये के मुकाबले ब.अ 2010-11 में 2,48,664 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है जो ब.अ 2010-11 में आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 38.6 प्रतिशत बनता है। यह वृद्धि मुख्यतः अधिक घाटे का वित्तपोषण करने और 2008-09 के दौरान तेल विपणन कंपनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर दिए गए ब्याज के कारण है। 2010-11 में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया की क्रमिक शुरुआत के चलते यह अनुपात बेहतर होकर ब.अ 2010-11 में 36.4 प्रतिशत तथा आगे और बेहतर होकर 2012-13 में 34.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। 2011-12 और 2012-13 में ब्याज भुगतानों का अनुमान लगाने के लिए वृद्धिशील ऋण को 7.75 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर माना गया है। उपर्युक्त अनुमानों के साथ जुड़ा हुआ जोखिम आने वाले वर्षों में ब्याज दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा तदनु रूप अवधि के लिए अनुमान से अधिक राजकोषीय घाटा है। सरकार का प्रयास यह होगा कि कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतांक के रूप में ब्याज अदायगी को वहनीय स्तर पर लाया जाए।

(ख) रक्षा सेवाएं

27. राजस्व खाते में रक्षा सेवा व्यय छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की वजह से ब.अ. 2009-10 में 86,879 करोड़ रुपये से बढ़कर सं.अ. 2009-10 में 88,400 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था

की गई है। 2009-10 में किए गए वेतन बकायों के भुगतान के कारण इसके ब.अ. 2010-11 में मामूली रूप से घटकर 87,344 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण व्यय के यह घटक 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.1 प्रतिशत से बढ़कर सं. 2009-10 में स.घ.उ. का 1.4 प्रतिशत हो गया है। तथापि, बकायों का भुगतान हो जाने से, इसके ब.अ. 2010-11 में घटकर स.घ.उ. का 1.3 प्रतिशत होने और 2012-13 में 1.1 प्रतिशत के स्तर पर वापस आने का अनुमान है।

(ग) मुख्य सब्सिडियां

28. 2008-09 के बजट के बाद विश्व वस्तु बाजार के घटनाक्रम के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की आर्थिक लागत में बढ़ोत्तरी हुई। उपभोक्ता को उर्वरक, पेट्रोलियम और खाद्य उत्पादों की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि से बचाने के उद्देश्य से, इन मदों पर सब्सिडियों पर व्यय को 2008-09 में काफी अधिक बढ़ाया गया। नकद सब्सिडियों के बदले, तेल और उर्वरक कम्पनियों को जारी 95,942 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियों को शामिल करने के बाद, इन तीन मदों पर सब्सिडियों पर कुल व्यय बढ़कर 2,19,148 करोड़ रुपए हो गया जो सरकार की राजस्व प्राप्ति का लगभग 40 प्रतिशत और स.घ.उ. का 3.9 प्रतिशत है। सब्सिडी भुगतान का यह स्तर निश्चित रूप से वहनीय नहीं है और सरकार ने सब्सिडी प्रशासन में सुधार के अपने आशय का संकेत दिया है।

29. तदनुसार, उर्वरक सब्सिडी सुधार के भाग के रूप में पोषण आधारित सब्सिडी प्रणाली वर्ष 2010-11 से आरम्भ की जा रही है। इसका ब्योरा राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम सब्सिडी व्यवस्था के यौक्तिकीकरण के लिए पारीख समिति की रिपोर्ट सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है। साथ ही अब सरकार ने पिछली पद्धति के प्रत्यन्त प्रतिभूतियों के बजाए नकद पेट्रोलियम सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार नकद सरकारी सब्सिडी प्रदान करने की इस पद्धति को जारी रखना चाहेगी। सब्सिडी संबंधी सभी देयताओं को सरकार के राजकोषीय लेखों में लाने के संबंध में यह एक प्रमुख कदम है।

30. एफसीआई के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की संचालन लागत कम करने के संबंध में सरकार कार्यशील पूँजी सहायता एफसीआई को अर्थोपाय अग्रिम के रूप में प्रदान करेगी और इसकी वसूली उसी वित्तीय वर्ष में की जाएगी। सदृश्य रूप में एफसीआई अपनी नकद ऋण सीमाएं और बैंकों से लिए जाने वाले उधारों को कम करेगा। परिणामस्वरूप कार्यशील पूँजी की लागत कम होगी और इससे खाद्य सब्सिडी के ब्याज संघटक में कमी आएगी। यह व्यवस्था वर्ष 2010-11 से लागू होगी। इसके अतिरिक्त, एफसीआई को यह सलाह दी जा रही है कि वे अपनी प्रशासनिक लागत की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करें और राज्यों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि समग्र खाद्य सब्सिडी व्यय में कमी लाने हेतु विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली में शामिल हो जाएं।

31. इस अनुमान को देखते हुए कि वर्ष 2010-11 के दौरान विश्व पण्य बाजार में मूल्य का स्तर वर्तमान बना रहेगा और सुधार उपायों के प्रभाव के मद्देनजर ब.अ. 2010-11 में उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान 49,981 करोड़ रुपए रखा गया है। ब.अ. 2010-11 में खाद्य सब्सिडी 55,578 करोड़ रुपए अनुमानित है। खाद्य सब्सिडी में बढ़ोत्तरी का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तथापि, ब.अ. 2010-11 में प्रमुख सब्सिडियों के सं.अ. 2009-10 के 1,23,936 करोड़ रुपए के मुकाबले घटकर 1,08,667 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो स.घ.उ. का 1.6 प्रतिशत है। सब्सिडी प्रावधान के वर्तमान स्तर की बात इस अनुमान पर कही गई है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक और (पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यों में कोई बड़ा अन्तर नहीं आएगा। साथ ही साथ, यह भी अनुमान किया जाता है कि टीपीडीएस के तहत आवंटित मात्रा व्यय और खरीद लागत वर्ष के दौरान सब मिलाकर स्थिर रहे। उपर्युक्त अनुमानों के आधार पर वर्ष 2011-12 में प्रमुख सब्सिडी व्यय के गिरकर स.घ.उ. का 1.5 प्रतिशत और 2012-13 में स.घ.उ. का 1.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में वर्धित निवेश के लिए और अधिक राजकोषीय गुंजाइश उत्पन्न करने हेतु इस व्यय को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त उपायों और साधनों पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना-भिन्न अनुदान

32. ब.अ. 2010-11 में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों और वित्त आयोग के अनुदानों को देखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 46,001 करोड़ रुपए का आयोजना-भिन्न अनुदान प्रदान किया जाना अनुमानित है। यह 12वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान प्रदत्त औसतन 35,034 करोड़ रुपए से महत्वपूर्ण रूप से कहीं अधिक है। निम्नलिखित श्रेणियों के तहत 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुदानों की सिफारिश की गई है और ब.अ. 2010-11 में ये अनुदान प्रदान किए गए हैं और 2011-12 और 2012-13 के अनुदानों के लिए इसे ध्यान में रखा जाएगा।

अंतरण-पश्च आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा (एनपीआरडी), कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन, बुनियादी शिक्षा, परिणामों में सुधार, पर्यावरण सम्बद्ध, सड़कों का रखरखाव, राज्य-विशिष्ट, स्थानीय निकाय, आपदा राहत और जीएसटी कार्यान्वयन (ब.अ. 2010-11 में शामिल नहीं किया गया है परन्तु 2011-12 और 2012-13 में इसे ध्यान में रखा जाएगा)।

33. 13वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान अनुशंसित कुल अनुदान 3,18,581 करोड़ रुपए है और यह बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों से बहुत अधिक है। इसके साथ-साथ राज्यों को केन्द्रीय करों के अंतरण की उच्चतर प्रतिशतता की सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के पास अपने व्यय के लिए राजस्व संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाएगी। तदनुसार, 13वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान आगामी वर्षों में राजस्व घाटे पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

34. केन्द्र सरकार केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति करने की वचनबद्धता जारी रखे हुए है। इस प्रयोजन हेतु ब.अ. 2010-11 में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

35. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और सम्भावित अन्य आयोजना-भिन्न अनुदानों के आधार पर, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल आयोजना-भिन्न अनुदान 2011-12 में स.घ.उ. का 0.7 प्रतिशत और 2012-13 में स.घ.उ. का 0.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। ये अनुमान दर्शाते हैं कि केन्द्र के कर राजस्व (निवल) के प्रतिशत के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना-भिन्न अनुदान ब.अ. 2010-11 में 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 9.3 प्रतिशत हो जाएगा।

(ड) पेंशन

36. छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद, वेतन सम्बन्धित व्यय के साथ-साथ व्यय के इस घटक में काफी अधिक वृद्धि हुई है। पेंशन व्यय, जो केन्द्र के कर-राजस्व (निवल) का 5.5 प्रतिशत, और 2007-08 में स.घ.उ. का 0.5 प्रतिशत था, सं.अ. 2009-10 में बढ़कर क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत हो गया है। 2009-10 में बकाया का भुगतान पूरा हो जाने से, ब.अ. 2010-11 में इन प्रतिशतों के 8 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत तक कम हो जाने का अनुमान है। इस पूर्वानुमान से कि आगामी वर्षों में पेंशन सम्बन्धित व्यय 9 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, यह अनुमान है कि पेंशन भुगतान 2012-13 तक स.घ.उ. का 0.6 प्रतिशत तक स्थिर हो जाएगा और 2012-13 में केन्द्र के निवल कर राजस्व के 6.7 प्रतिशत तक गिर जाएगा।

(ख) पूंजी खाता

(i) ऋण और अग्रिम

37. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम पहले केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों का प्रमुख घटक थे। बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को ऋण के मामले में केन्द्र सरकार की अमध्यस्थता की सिफारिश की थी, यद्यपि वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों, जो सीधे तौर पर संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं, को सहायता देने की सिफारिश की गई थी। राज्य अब सीधे बाजार से ऋण जुटा सकते हैं। तथापि, विदेशी ऋण केन्द्र सरकार के माध्यम से दिए जाने जारी हैं। उपरोक्त व्यवस्थाएं तेरहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान जारी रहेंगी।

38. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निवेशों हेतु बजटीय सहायता, पुनर्गठन/पुनरुद्धार तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/स्वैच्छिक पृथक्कीकरण योजना सहित, विभिन्न प्रयोजनों के लिए आयोजना-भिन्न ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।

(ii) पूंजी परिव्यय

39. पूंजी परिव्यय पर कुल व्यय 2008-09 में 90,158 करोड़ रुपए से बढ़कर सं.अ. 2009-10 में 1,15,192 करोड़ रुपए और ब.अ. 2010-11 में और बढ़कर 1,50,025 करोड़ रुपए होना तय है। यह 2009-10 और 2010-11 के दौरान 29.1 प्रतिशत की अनुमानित औसत वृद्धि दर्शाता है।

40. आयोजना पूंजी परिव्यय में 2008-09 में 40,461 करोड़ रुपए से वृद्धि होकर ब.अ. 2010-11 में 57,967 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो दो वर्षों की समयावधि में 19.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि प्रदर्शित करता है। मौजूदा परिदृश्य में जबकि पूंजी बाजार ने ठोस रूप धारण कर लिया है और जबकि सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत पूंजी व्यय के रूप में बड़ी मात्रा में क्षमता वर्धन हो रहा है, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों (आईईबीआर) के जरिए अपनी पूंजी व्यय के बड़े हिस्से की पूर्ति कर रहे हैं। सीपीएसयू (रेलवे सहित) का आईईबीआर 24.2 प्रतिशत तक बढ़कर सं.अ. 2009-10 में 1,96,427 करोड़ रुपए से ब.अ. 2010-11 में 2,43,884 करोड़ रुपए हो गया।

41. आयोजना भिन्न पूंजी व्यय के 2008-09 में 49,697 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2010-11 में 92,058 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। रक्षा पूंजी परिव्यय आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय का सबसे बड़ा संघटक है और इसके ब.अ. 2010-11 में 60,000 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। साथ ही ब.अ. 2010-11 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण हेतु 16,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

4. जीडीपी विकास

42. राष्ट्रीय आय के परिकलन हेतु आधार वर्ष में संशोधन किया गया है। आधार वर्ष को 1999-2000 से परिवर्तित कर 2004-05 बना दिया गया है। इस परिवर्तन से, जीडीपी से सम्बद्ध परम्परागत अनुमानों में 2004-05 से परिवर्तन हो गया है। आंकड़ों की संशोधित श्रृंखलाएं प्रदर्शित करती हैं कि 2008-09 के दौरान उपादान लागत (2004-2005 के स्थिर मूल्यों पर) वार्षिक वास्तविक जीडीपी विकास दर में मामूली बढ़ोतरी होकर यह 6.7 प्रतिशत हो गया जबकि 2007-08 के दौरान विकास दर 9.2 प्रतिशत थी। सीएसओ से जारी अद्यतन आंकड़े वास्तविक तौर पर 2009-10 में विकास दर 7.2 प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं और मुद्रास्फीति सम्भावना को ध्यान में रखने के बाद, 2009-10 में जीडीपी विकास (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) 10.6 प्रतिशत आंकी गयी है। इस प्रकार 2009-10 में जीडीपी (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) 61,64,178 करोड़ रुपए निर्धारित की गयी है। वर्ष 2010-11 में, अर्थव्यवस्था के विकास दर की दिशा में वापस लौटने के अनुमान के साथ वास्तविक जीडीपी विकास को 8.5 प्रतिशत आंका गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान 4 प्रतिशत के अनुमानित मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने के बाद, 2010-11 के लिए जीडीपी विकास (मौजूदा बाजार मूल्य पर) 12.5 प्रतिशत होने का अनुमान है जिसके परिणामस्वरूप 69,34,700 करोड़ रुपए की जीडीपी (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) प्राप्त होगी। 2011-12 तथा 2012-13 की अवधि हेतु वास्तविक विकास दर क्रमशः 8.5 प्रतिशत और 9 प्रतिशत होने का अनुमान है और मध्यावधिक मुद्रास्फीति सम्भावना को ध्यान में रखने के बाद, मौजूदा बाजार मूल्यों पर जीडीपी विकास 2011-12 तथा 2012-13 के सम्बन्ध में क्रमशः 13 प्रतिशत और 13.5 प्रतिशत अनुमानित है।

ग. निम्नलिखित के सम्बन्ध में सतत् मूल्यांकन

(i) राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच संतुलन

43. विशेष रूप से राजस्व घाटे को समाप्त करने के सम्बन्ध में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को जारी रखने का भावी कार्य निःसन्देह अधिक चुनौती भरा है। तेरहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय समायोजन के रोड मैप की सिफारिश की है और राजकोषीय समायोजन के लाभों को 2010 से 2015 के दौरान बताए रखने के एक उपयुक्त संशोधित रोड मैप का सुझाव दिया है। यह सिफारिश विशेष रूप से तेल, खाद्य तथा उर्वरक बांडों के कारण केन्द्र सरकार की देयताओं को राजकोषीय लेखांकन में लाने की आवश्यकता और केन्द्र सरकार के विभिन्न अन्य घाटा लक्ष्यों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दी है। मुख्यतः 2004-08 की अवधि के दौरान राजकोषीय समेकन राजस्व की वजह से हुआ है और इसलिए जबकि राजस्व आधिक्य में आर्थिक विकास में मंदी की वजह से गिरावट हुई तो इसने दबाव उत्पन्न किया। अब हमारा ध्यान व्यय सुधार पर है ताकि राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को टिकाऊ बनाया जा सके और राजकोषीय प्रबन्ध में इंटरजनरेशन इक्विटी को स्थान मिले। यह एक बड़ी चुनौती है, चूंकि राजस्व व्यय के कई घटक स्थिर स्वरूप के हैं और मध्यावधि में इनका नीचे आना कठिन है। इसके साथ ही, केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां राज्यों को उच्च कर सुपर्दगी के कारण कम होंगी। इसे राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण में नीति मूल्यांकन से सम्बद्ध भाग ग के साथ पढ़ा जाए जहां राजस्व अधिशेष प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को स्पष्ट किया गया है।

(ii) उत्पादकता परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग

44 सं.अ, 2009-10 में 7,06,371 करोड़ रुपए आयोजना भिन्न व्यय ने 6,07,498 करोड़ रुपए की ऋण भिन्न प्राप्ति बढ़ाई है (जिसमें राजस्व प्राप्ति 5,77,286 करोड़ रुपए तथा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति 30,212 करोड़ रुपए शामिल है)। इस प्रवृत्ति के ब.अ. 2010-11 में भी जारी रहने का अनुमान है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार को आयोजना भिन्न व्यय वचनबद्धताओं की पूर्ति हेतु उधारों का सहारा लेना पड़ेगा। इससे व्यय संघटन में संरचनात्मक समस्या का मुद्दा उभरा है जिसे यदि नहीं सुलझाया गया तो इससे विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु राजकोषीय गुंजाइश पर पुनः दबाव उत्पन्न होगा। सरकार इन मुद्दों को पूरी ईमानदारी से हल कर रही है।

45. ब.अ 2010-11 में, 3,73,092 करोड़ रुपए का कुल आयोजना व्यय हुआ जो अनुमानित राजकोषीय घाटे का लगभग 97.8 प्रतिशत है। यह ब.अ. 2009-10 में अनुमानित राजकोषीय घाटे का केवल 81.1 प्रतिशत है। यह उधार लिए संसाधनों के नियोजन में सुधार को सूचित करता है। सरकार आयोजना भिन्न व्यय विशेषरूप से आयोजना भिन्न राजस्व व्यय के वित्त पोषण हेतु ऋण प्राप्तियों का उपयोग न करने की दिशा में पुनः प्रयास करेगी। जीडीपी से सम्बद्ध ऋण अनुपात को शनैः शनैः टिकाऊ स्तर पर लाने का प्रयास है और उधार ली गयी निधियों को उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में लाना है। 2011-12 तथा 2012-13 के अनुमानों में राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में आयोजना व्यय में पुनः सुधार होने का अनुमान है जो क्रमशः 109.2 प्रतिशत तथा 122.9 प्रतिशत होगा।

13वें वित्त आयोग के राजकोषीय रोडमैप के साथ एमटीएफपी की तुलना

	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटा			
एमटीएफपी	5.5	4.8	4.1
13वां वित्त आयोग	5.7	4.8	4.2
राजस्व घाटा#			
एमटीएफपी	4.0	3.4	2.7
13वां वित्त आयोग	3.2	2.3	1.2
ऋण *			
एमटीएफपी	51.1	50.0	48.2
13वां वित्त आयोग	53.9	52.5	50.5

* इसमें राज्यों को दिए गए एनएसएसएफ ऋण शामिल नहीं हैं और मौजूदा विनिमय दर पर विदेशी ऋण हेतु परिकलन के लिए हैं।

राजस्व घाटा लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण के उक्त पैरा 43 और मांग ग में स्पष्ट किया गया है।